

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/1839...../

जबलपुर, दिनांक 13/02/2024

दो-13-67/23

स्व. श्रीमती रूबी श्रीवास्तव, नवगठित सेवा के सदस्य (माली) के मृत्यु दिनांक 10.09.2023 पर अर्जित अवकाश की पात्रता शेष न होने से अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्र.C/1840...../

जबलपुर, दिनांक 13/02/2024

दो-13-67/23

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा शाखा/पेंशन शाखा, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री संजय कुमार श्रीवास्तव पति स्व. श्रीमती रूबी श्रीवास्तव, नवगठित सेवा के सदस्य (माली) उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, यूनिक कोड नं. 1800015951 मो. नं. 7898321316 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


12.2.2024
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)